झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1169 वर्ष 2017

विवेकानंद चौधरी .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. कोडरमा के उपायुक्त के माध्यम से झारखंड राज्य

2. उपायुक्त, कोडरमा

3. पुलिस अधीक्षक, कोडरमा

4. थाना प्रभारी, तिलैया पुलिस स्टेशन, तिलैया, कोडरमा

5. जिला प्रमाण पत्र अधिकारी, कोडरमा .....उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री पाण्डेय नीरज राय, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः–श्री कुमार सुन्दरम, ए0ए0जी0 के जे0सी0

05 / 21.03.2017 पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी सं0 5–जिला प्रमाणपत्र अधिकारी, कोडरमा के समक्ष प्रमाण पत्र मामला सं0 317 / 2016–17 में प्रमाण पत्र कार्यवाही काा सामना करना पड़ रहा है। दिनांक 25 जनवरी, 2017 के आदेश के द्वारा उनकी उपस्थिति को लागू करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने पर उन्होनें इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता के अनुसार भी, उसे 31 जनवरी, 2017 को नोटिस प्राप्त हुआ था। उन्होनें दलील दी है कि 15

दिन की अवधि 15 फरवरी, 2017 को समाप्त हो गई होगी। याचिकाकर्ता ने अपना बचाव तैयार करने के लिए सभी संभव कदम उठाए और अपने वकील को भी गिरफ्तारी वारंट को स्थगित रखने के लिए प्रार्थना करने का निर्देश दिया। इस तरह का आवेदन 11 फरवरी 2017 को किया गया था। हालांकि, नोटिस की तामीला और प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता में इन सभी कर्मियों को नजरअंदाज करते हुए, 08.02.2017 को बलपूर्वक उपाय के रूप में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3. उत्तरदाताओं को 28.02.2017 को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया था। इसके बाद 08 मार्च, 2017 को जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। उत्तरदाताओं ने कहा है कि कोडरमा के उपायुक्त की अध्यक्षता में 20.12.2016 को जिला परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में प्रमाण पत्र की मांग प्राप्त होने के बाद दिनांक 24.12.2016 को प्रमाण पत्र मामला संख्या 317/2016–17 दर्ज किया गया था। उसी दिन नोटिस भी जारी किया गया था। उनके अनुसार दिनांक 26.12.2016 को नोटिस भेजा गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसे दुबारा दिनांक 27.12.2016 को भेजा गया, जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके समर्थन में अनुलग्नक–सी और सी/1 संलग्न है। पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषण की प्राप्ति अनुलग्नक–डी के रूप में संलग्न है अर्थात 27.12.2016 को। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर संबंधित प्रमाण पत्र पर अपनी आपत्ति दर्ज करनी थी। चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए 25 जनवरी, 2017 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश पारित किया

गया कि क्यों नहीं 15 दिनों की समाप्ति पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। ऐसी पृष्ठभूमि वाली परिस्थितियों में 08 फरवरी, 2017 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

4. याचिकाकर्ता ने इसका प्रत्युत्तर भी दाखिल किया है। उसने नोटिस की तामील के बिंदु पर और आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति न होने पर भी प्रत्यर्थियों द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति की है। याचिकाकर्ता के अनुसार, अधियाचना किए जाने के बावजूद आदेश पत्र के केवल पहले और तीसरे पृष्ठ की आपूर्ति की गई थी। नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2017 को ही प्राप्त हुआ था और उस 15 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले 08 फरवरी, 2017 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। सर्टिफिकेट ऑफिसर का यह दृष्टिकोण दुर्भावनापूर्ण भी है।

5. आई0ए0 सं0 2397/2017 के माध्यम से एक प्रार्थना भी की गई है कि प्रत्यर्थियों को मामले को किसी अन्य प्रमाण पत्र अधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने तद्नुसार इस आशय के मुख्य रिट आवेदन में संशोधन की मांग की है।

6. मैनें तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आलोक में पार्टियों की प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

7. अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ता जो किसी लोक मांग की वसूली के संबंध में प्रमाणपत्र मामले का सामना कर रहा है, उसे नोटिस का जवाब देना होगा और प्रमाणपत्र अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना होगा। पक्षकारों द्वारा नोटिस

की तामील के बारे में कुछ विवाद के साथ वर्णित घटनाओं का क्रम, हालांकि, इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि याचिकाकर्ता को किसी भी स्थिति में 31.01.2017 को नोटिस की तामीला हुई थी। उस पहलू पर आगे विस्तार दिए बिना, व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह उचित समझा जाता है कि याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, में कानून और तथ्यों के सभी उपलब्ध आधारों को लेते हुए जिला प्रमाणपत्र अधिकारी, कोडरमा (प्रत्यर्थी सं0 5) के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। प्रत्यर्थी सं0 5 उसके बाद अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में आपत्ति को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेगा क्योंकि यह सूचित किया गया है कि ऐसा कोई निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। इस तरह के निर्धारण पर निर्भर करते हुए, वह लोक मांग की वसूली के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। याचिकाकर्ता की ओर से कार्यवाही को किसी अन्य प्रमाणपत्र अधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए आग्रह किए गए आधार, हालांकि, न्यायालय को प्रभावित नहीं करते हैं।

8. तदनुसार रिट याचिका का निपटान किया जाता है। आई0ए0 संख्या 2397/2017 को खारिज किया जाता है। विद्वान प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी वारंट के आक्षेपित आदेश पर पहले ही रोक लगा दी गई है, इसे तभी प्रभावी किया जा सकता है जब आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता अपने अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने में विफल रहता है। प्रमाणपत्र अधिकारी उसके बाद उनके हाजिर होने के मामले में दंडात्मक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)